# छत्तीसगढ़ शासन
## श्रम विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

**–: अधिसूचना :–**

रायपुर,दिनांक: 25/11 /2010

क्रमांक एफ 10–30/2010/16: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अधिसूचना क्रमांक एफ 10–30/2010/16, दिनांक 01/10/2010 में हितग्राहियों के लिए **मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना** में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है:–

(द) **स्वीकृति का अधिकार:–**

(i) पात्रता की जांच उपरांत क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के उप संचालक /सहायक संचालक/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदन अनुशंसा सहित स्वीकृति किया जावेगा।

(ii) विलोपित।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के0डी0 कुंजाम)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग
23-11-10

क्रमांक एफ 10–30/2010/16,

रायपुर, दिनांक 25/11/2010

प्रतिलिपि:–

1 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)

2 निज सहायक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)

3 श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर

4 अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)

5 अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)

6 संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायपुर।

7 सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)

8 सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी.............................................. (छ0ग0)

9 उप/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, .............................................. (छ0ग0)

10 उप संचालक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग
23.11.10

**श्रम विभाग**
**मंत्रालय**
**दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर**

**अधिसूचना**

रायपुर, दिनांक 01.10.2010

0–30/2010/16 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा र्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के यों के लिए निम्नानुसार योजनाएँ बनाती है :–

**मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना :–**

**(अ) योजना का प्रावधान :–**

(i) योजना का नाम मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना 2010 होगा।

(ii) योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य जैसे राजमिस्त्री, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेन्टर, कुली, पेन्टर आदि प्रकार के ट्रेड के श्रमिकों को कुल 10000 औजार किट प्रतिवर्ष वितरित किया जावेगा।

(iii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

**(ब) योजना हेतु पात्रता :–**

(i) यह योजना निर्माणी श्रमिक जो प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत हो, प्रदाय किया जावेगा।

(ii) पंजीकृत श्रमिक की आयु 18 वर्ष से कम की न हो।

(iii) योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक एक ट्रेड के ही औजार की सहायता प्राप्त कर सकता है।

**(स) योजना हेतु आवेदन की प्रकिया :–**

(i) आवेदक के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर।

(ii) आवेदन में पंजीयन कमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।

(iii) आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय में जमा किया जावे।

(द) **स्वीकृति का अधिकार :–**

(i) पात्रता की जांच उपरांत क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के उप संचालक/सहायक संचालक/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदन अनुशंसा सहित स्वीकृति हेतु मण्डल को प्रेषित किया जावेगा।

(ii) सभी आवेदनों की स्वीकृति का अधिकार छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के सचिव का होगा।

(ई) अन्य विवरण :–

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के0डी0 कुंजाम)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्टांकन क्र. 10–30/2010/16,
रायपुर दिनांक 01.10.2010

प्रतिलिपि:–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ0ग0)
5. अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर (छ0ग0)
6. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायपुर (छ0ग0)
7. सचिव, छ0ग0 भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर (छ0ग0)
8. सहायक श्रमायुक्त,/श्रम पदाधिकारी,/सहायक श्रम पदाधिकारी ..............................(छ0ग0)
9. सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ..............................(छ0ग0)
10. उप संचालक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।